

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीपज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096



Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No. E-OPT-11/25/2021-EO/12301

Date. 24.10.2024

परिपत्र संख्या 08 दिनांक 24 10/2024

CIRCULAR NO. 08 Dated 24/10/2024

विषय:- आवंटन पत्र, पट्टा अनुबंध में संशोधन।

Sub:- Amendment in Allotment letter, Lease Agreement.

संपत्ति के बंधक की एनओसी के लिए आवेदन की जांच के दौरान यह पाया गया कि आवंटन पत्र और इकाई द्वारा निष्पादित पट्टा समझौते में क्षेत्र के विवरण में विसंगति है और बंधक के प्रावधान के संबंध में पट्टा समझौते की शर्त में भी विसंगति है।

During scrutiny of application for NOC of Mortgage of property it is noticed that there is mismatch in area details in allotment letter and lease agreement executed by the unit on date and also in a discrepancy in condition of lease agreement regarding provision of mortgage.

उपरोक्त के मद्देनजर, सीपज़-सेज़ के सभी यूनिटधारकों से अनुरोध है कि वे बंधक के लिए एनओसी हेतु आवेदन करने से पहले अपने दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक जांच करें और पहले से बंधक संपत्ति की देखभाल में संशोधन के लिए अनुरोध प्रस्तुत करें।

In view of the above, all unitholders at SEEPZ-SEZ are hereby requested to examine their documents carefully before making application for NOC for mortgage and submit a request for amendments in case of already mortgage property.

यह परिपत्र विकास आयुक्त सीपज़-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issue with the approval of Development Commissioner SEEPZ-SEZ.

(डॉ. प्रसाद वरवंतकर)
संपदा अधिकारी
सीपज़ - सेज़

Signed by Prasad
Hanumantrao Varwantkar
Date: 24-10-2024 16:30:47

To,

SEEPZ-SEZ में सभी इकाइयाँ/All units in SEEPZ-SEZ